सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

41/2016

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

7

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉ, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 41/16

1. हनुमान पुत्र राम लाल जाति बिश्नोई निवासी रोहिड़ावली सुथारान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलांट

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) गंगानगर।
2. नरसी राम पुत्र राम लाल जाति बिश्नोई निवासी राहिड़ावली सुथारान तह0 व जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश उप तहसीलदार हिन्दूमलकोट दिनांक 15–02–13

उपस्थित : 1. श्री इन्द्रजीत बिश्नोई, अधिवक्ता, अपीलांट
2. श्री विक्रम गोदारा, अधिवक्ता, रेस्पो0 2
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 1 की ओर से।

आदेश

दिनांक : 29–12–16

प्रस्तुत अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत उप तहसीलदार, हिन्दूमलकोट के आदेश दिनांक 15–2–13 के विरूद्व पेश की गई है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट रेस्पो0 सं0 2 व अन्य काश्तकारों के नाम से चक 3 पी बड़ी तहसील श्री गंगानगर के खाता सं0 33/2 मु0 नं0 33 का कि0 नं0 1 ता 25 की कुल 6.325 है0 का विभाजन सहमति के आधार पर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जमाबंदी की प्रति लेने के लिए पटवारी से सम्पर्क किया तो उसने बताया कि अपीलांट के नाम से किला नं0 9 व 10 है, जबकि अपीलांट के पास किला नं0 9 व 12 है। आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर पता चला कि अपीलांट के हिस्सा के सामने जो भूमि दर्ज की गई है, उसमें किला नं0 9–12 के स्थान पर 9–10 दर्ज हो गया है जबकि किला नं0 10 रेस्पो0 सं0 2 के नाम से दर्शाया हुआ है तथा उसी के कब्जा में है। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट के अलावा अन्य कोई हिस्सेदार प्रभावित नहीं है। लिपीकीय त्रुटि के कारण विभाजन की लिखित करते समय कि0 नं0 12 के स्थान पर किला नं0 10 अपीलांट के नाम से दर्ज हो गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलकृत आदेश में संशोधन करते हुए किला 10 के स्थान पर किला नं0 12 अंकित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपीलकृत आदेश से संबंधित मूल रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय से तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपील में कहा है कि आपसी सहमति के आधार पर विभाजन हुआ था। विभाजन के आधार पर अपीलकृत इंतकाल में किला नं0 12 के स्थान पर किला नं0 10

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अपीलांट के पक्ष में दर्ज कर दिया गया है, जो लिपिकीय त्रुटि के कारण हुआ है। सहमति के प्रार्थना पत्र में लिपिकीय त्रुटि से अपीलांट के नाम मु0 नं0 33 के कि0 नं0 9–10 अंकित किया है इसी प्रकार रेस्पो0 सं0 2 नरसी राम के नाम के आगे मु0 नं0 33 के कि0 नं0 1 व 10 अंकित किया गया है। इस प्रकार कि0 नं0 10 की अंकन दो बार होने से गलती हुई है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट के नाम कि0 नं0 10 के स्थान पर 12 अंकित किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने लिखित बहस दिनांक 20–6–16 को पेश कर दी थी तथा लिखित बहस में कथन किया है कि अपीलांट के नाम किला नं0 10 के स्थान पर किला नं0 12 दर्ज करने में रेस्पोडेन्ट को कोई आपति नहीं है। अतः अपील को स्वीकार किये जाने में रेस्पोडेन्ट ने कोई आपति जाहिर नहीं की है।

राजकीय अधिवक्ता ने भी अपील को स्वीकार किये जाने में कोई आपति जाहिर नहीं की है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि प्रशासन गॉवों के संग – 2013 कैम्प रोहिड़ावली में प्रस्तुत सहमति के प्रार्थना पत्र, पटवारी रिपोर्ट एवं विभाजन आदेश दिनांक 15–2–13 में मु0 नं0 33 के किला नं0 10 का अंकन दो बार हुआ है, जो अपीलांट व रेस्पो0 सं0 2 नरसीराम के नाम आगे किया गया है। विभाजन आदेश के अनुसार ही इंतकाल सं0 224 दिनांक 15–2–13 में भी किला नं0 10 का अंकन अपीलांट व रेस्पो0 सं0 2 नरसीराम के नाम के आगे किया गया है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 नरसीराम ने लिखित बहस में यह स्वीकार किया है कि मु0 नं0 33 का कि0 नं0 10 विभाजन में उसे आया हुआ है। अतः अपील स्वीकार करने में उसे कोई आपति नहीं है इसलिए लिपिकीय त्रुटि के कारण अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अपीलकृत आदेश दिनांक 15–2–13 में अपीलांट की हद तक मु0 नं0 33 के किला नं0 10 के स्थान पर किला नं0 12 अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं तथा इसी अनुरूप राजस्व अभिलेखों में भी दुरूस्ती करने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति मय अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 29–12–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/12/16

(करतारसिंह पूनियॉ)
अति0 जिला कलक्टर, (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)